भारत

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, भारत में सबसे अधिक प्रचलित मानव अधिकार हनन के मामलों से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बावजूद मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या बनी हुई है। इस देश में प्रगतिशील नागरिक समाज, स्वतंत्र जनसंचार माध्यम (मीडिया) और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। किंतु लंबे समय से जारी अभद्र बर्ताव, भ्रष्टाचार और अपराधियों के प्रति जवाबदेही में कमी के कारण मानव अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा मिलता रहा है।

पुलिस सुधारों सहित बेहतर स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद ठीक से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण, सरकारी प्रयास बेअसर साबित हुए हैं। कई महिलाएं, बच्चे, दलित (तथाकथित अछूत), जनजातीय समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक, विकलांग और यौन एवं लिंग अल्पसंख्यक, हाशिए पर बने हुए हैं, तथा सरकार द्वारा लोक अधिकारियों को भेदभावपूर्ण बर्ताव करने से रोकने हेतु प्रशिक्षित नहीं किए जाने के कारण उनके प्रति भेदभाव किया जाना जारी है।

जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर तथा माओवादी उग्रवाद का सामना कर रहे मध्य एवं पूर्वी भारत के क्षेत्रों में विशेष रूप से सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार हनन के लिए दंड से छूट, एक गंभीर समस्या बनी हुई है। पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था पर संसाधनों के खनन और अवसंरचना परियोजनाओं का प्रायः हानिकारक असर पड़ता है, और इनमें से बहुतों से प्रभावित समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

केंद्र सरकार ने इस बात का हवाला देते हुए इंटरनेट सामग्री पर प्रतिबंध कड़े कर दिए कि ये उपाय, लोक व्यवस्था के खतरे को कम करने के लिए हैं। इसने 2012 में, सरकार द्वारा माओवादी उग्रवाद और भ्रष्टाचार से निपटने जैसे मुद्दों से लेकर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विरोध जैसे शांतिपूर्ण असंतोष को दबाने के लिए औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून का उपयोग किया। 2002 के गुजरात दंगों के अनेक संदिग्धों पर मुकदमा चलाए जाने से धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण को बढ़ावा मिला, जिसके फलस्वरूप 2012 में 75 से अधिक लोग दोषी करार हुए। इनमें एक उग्रवादी हिंदू संगठन बजरंग दल की नेता और पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अगस्त में दोषसिद्धि भी शामिल है।

दंड से छूट

भारत के कानूनों और नीतियों के कारण मानव अधिकारों के गंभीर हनन में शामिल सुरक्षा बलों के सदस्यों को दंड से भारी छूट मिलनी जारी है।

भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों ने 2012 में सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को रद्द करने या उसमें संशोधन करने के प्रयासों का विरोध किया, जिसके तहत सैनिकों को प्रभावी छूट के साथ गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन करने की अनुमति प्राप्त है।

माओवादी उग्रवाद

मध्य और पूर्वी भारत के नौ राज्यों में माओवादी गतिविधियां फैली हुई हैं, जिन्हें लचर शासन व्यवस्था, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी मूलभूत जन सुविधाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में समर्थन मिलता है।

नक्सली के रूप में पहचाने जाने वाले माओवादी उग्रवादियों ने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को अपना निशाना बनाना जारी रखा हुआ है। सभी स्कूलों को मई, 2011 तक खाली करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद, स्कूलों पर अभी भी अर्द्धसैनिक बलों का कब्जा बना हुआ है। सितंबर माह में, मध्य भारत के छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले असर को देखते हुए वे 36 स्कूलों और छात्रावासों से अर्द्धसैनिक बलों को हटा देंगे।

वर्ष 2012 में, इस लेख के लिखे जाने तक माओवादी हिंसा में 98 नागरिकों सहित 257 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। जून माह में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ राज्य में एक रात्रि अभियान में 19 ग्रामीणों को मार डाला था, जिसकी व्यापक निंदा हुई थी।

माओवादी क्षेत्रों में नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को, माओवादियों और राज्य सुरक्षा बलों, दोनों से ही बहुत अधिक खतरा बना रहता है। कई कार्यकर्ताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, और उनपर हत्या, षडयंत्र और राजद्रोह जैसे राजनीति से प्रेरित अपराधों का आरोप लगाया गया है। माओवादियों ने उन कार्यकर्ताओं को धमकी दी है या उन पर हमला किया है, जिन्हें वे सरकार से संबंध रखने वाला मानते हैं।

जम्मू और कश्मीर

जहां भारत के उत्तरी राज्य, जम्मू और कश्मीर में हिंसा में कमी आई है, वहीं मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार सुरक्षा बलों को अब भी एएफएसपीए के तहत मुकदमा चलाए जाने से प्रभावी छूट मिली हुई है।

सितंबर माह में राज्य सरकार ने उन 2,730 शवों के डीएनए जांच की मांग को ठुकरा दिया था, जिन्हें पुलिस के एक खोजी दल ने जुलाई, 2011 में उत्तरी कश्मीर के 38 स्थानों पर अचिह्नित कब्रों में पाया था। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ कब्रों में 1990 के दशक के दौरान सरकारी सुरक्षा बलों द्वारा बलपूर्वक उठा लिए जाने और बिना कोई मुकदमा चलाए मारे गए लोगों की हैं।

ग्राम परिषद के कई निर्वाचित नेताओं ने जम्मू और कश्मीर में चुनाव का विरोध करने वाले सशस्त्र अलगाववादियों की धमकी और हमले के बाद सितंबर में त्यागपत्र दे दिया।

असम में हिंसा

जुलाई में, स्वदेशी बोडो जनजातियों और मुसलमान प्रवासी बासिंदों के बीच कोकराझार में हिंसा भड़की और असम के कई जिलों में फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 97 लोगों की मौत हुई और 450,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। उन समुदायों के बीच, जो पहले भी जमीन और संसाधनों के उपयोग पर संघर्ष कर चुके थे, बढ़ते तनाव की जानकारी के बावजूद, असम के अधिकारी हिंसा को रोकने में नाकाम रहे थे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

2012 में, केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेंसरशिप को कठोर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा–निर्देश) नियमावली लागू की, जिसके कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चिता बढ़ गई। इन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाप्रदाता और खोज इंजन जैसे मध्यवर्ती सेवाप्रदाताओं को आपत्तिजनक माने जाने वाली सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटा लेना जरूरी किया गया है। हालांकि निषिद्ध सामग्री का मापदंड अस्पष्ट है, और अक्सर इन नियमों का प्रयोग सरकार की आलोचना का दमन करने के लिए किया जाता है।

सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय, कि राजद्रोह के आरोप के लिए उकसाने के साक्ष्य की जरूरत होती है, की परवाह न करते हुए औपनिवेशिक काल के राजद्रोह संबंधी कानून का उपयोग किया। सितंबर में, पुलिस ने मुंबई में राजनैतिक कार्टून–चित्रकार असीम त्रिवेदी को इस शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया कि उसके बनाए कार्टून ने भारतीय संविधान और राष्ट्रीय प्रतीक का मजाक उड़ाया है। व्यापक विरोधों के बाद उसे रिहा किया गया था। मई माह में दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में पुलिस ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हजारों लोगों के विरुद्ध राजद्रोह की शिकायत दर्ज की है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में माओवादी समूहों को समर्थन देने वाले संदिग्ध कार्यकर्ताओं और वकीलों के विरुद्ध राजद्रोह के मामले दायर किए गए हैं।

घरेलू गैर–सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता मिलने से रोकने के लिए, सरकार अभी भी विदेशी अभिदाय विनियिमन अधिनियम (एफसीआरए) का प्रयोग कर रही है।

बाल अधिकारों का संरक्षण

बच्चों के उत्पीड़न का खतरा अभी भी बना हुआ है, भारी संख्या में बच्चों को जोखिम भरे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और वह भी समुचित स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं के बिना।

भारत में विश्व के कुपोषणग्रस्त बच्चों की सबसे बड़ी आबादी है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, कम से कम 40 प्रतिशत बच्चों को, सेक्स के अवैध व्यापार, बेघर होने, बेगार करवाए जाने, नशाखोरी, और अपराध का खतरा होता है, जिन्हें संरक्षण की जरूरत है।

सरकार ने वर्ष 2012 में बच्चों के अधिकारों में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अप्रैल में, उच्चतम न्यायालय ने सरकार के प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के निर्णय को सही ठहराया, जिसमें निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटें निर्धन बच्चों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। मई में, संसद ने बच्चों की यौन–उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए एक नया कानून पारित किया। अगस्त में, पहले के कानून को पलटते हुए, जिसमें बच्चों को केवल जोखिम भरे कामों पर रखना निषिद्ध था, सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को नौकरी पर रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

महिलाओं के अधिकार

विकलांग महिलाओं सहित यौन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि के साथ, वर्ष 2012 में भी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा जारी रही। सरकार द्वारा पुलिस अभिरक्षा में यौन उत्पीड़न की समुचित जांच करना और मुकदमा चलाया जाना अभी शेष है।

जून, 2012 में, एक प्रसिद्ध महिला एथलीट, पिंकी प्रामाणिक को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे हिरासत में लेते समय पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और प्राधिकारियों ने उसकी सहमति, निजता और गरिमा के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए ''लिंग निर्धारण'' जांचें की। उसके अपमानजनक परीक्षण के कुछ अंशों के एक वीडियों को सार्वजनिक किया गया था।

यौन अपराधों की एक व्यापक श्रृंखला की पहचान करने के लिए भारत को अभी भी अपने दांडिक कानूनों में सुधार करने लिए संशोधन करना है। जहां केंद्र सरकार ने बलात्कार जांच करने संबंधी कार्यपद्धति (प्रोटोकॉल) में संशोधन कर लिया है और अपमानजनक ''दो–उंगली परीक्षण'' पर उठाए जाने वाले प्रश्नों को हटा दिया है, वहीं अब भी इन बदलावों में यौन–उत्पीड़न पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, विशेष रूप से पीड़ितों के चिकित्सीय उपचार की समुचित व्यवस्था का अभाव है।

भारत में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून है, किंतु सरकार भी भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाती है। उदाहरण के तौर पर, मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में यदि किसी का बलपूर्वक बाल विवाह कर दिया गया है तो ऐसे वयस्क उम्मीदवारों को राज्य सिविल परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध है। कई राज्यों में सरकार ने 19 वर्ष एवं अधिक आयु की महिलाओं तथा केवल दो जीवित शिशु जन्मों तक ही गर्भवती माताओं के लिए पोषण कार्यक्रम को सीमित किए हुए है, जिससे कई कम उम्र माताओं को लाभ से वंचित होना पड़ता है।

खनन उद्योग में मानव अधिकरों का हनन

भारत के खनन क्षेत्र में सरकार की चूक के कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पनपा है और कुछ मामलों में स्वास्थ्य, पर्यावरण और खनन प्रभावित समुदायों की आजीविका को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

सितंबर में, पश्चिमी राज्य, गोवा की सरकार ने इस बात की जांच करने के लिए सभी लाइसेंस रद्द कर दिए कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के शमन के लिए समुचित प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं। एक वर्ष की रोक के बाद उसी महीने, दक्षिणी राज्य, कर्नाटक में इन शर्तों पर खनन गतिविधियों को आंशिक रूप से अनुमति दे दी गई कि पर्यावरण संबंधी किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हालांकि देश के दूसरे भागों में सरकार, सुरक्षा तंत्र को लागू करने में विफल रही है।

उपशामक देखभाल की सुविधा

भारत सरकार ने 2012 में दर्द और अन्य लक्षणों वाले असाध्य रोगों से पीड़ित लाखों लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसने सक्रिय रूप से क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को, जिनमें से कई इस समय उपशामक देखभाल सुविधा नहीं उपलब्ध कराते हैं, बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं। सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में भी संशोधन करने की तैयारी कर रही है, जिसे यदि अपना लिया जाता है तो चिकित्सा हेतु मार्फीन की उपलब्धता बढ़ेगी। भारत में प्रतिवर्ष सत्तर लाख से अधिक लोगों को उपशामक देखभाल की आवश्यकता होती है।

मृत्यु दंड

नवंबर में, भारत ने नवंबर, 2008 के मुंबई हमले, जिसमें पाकिस्तान में स्थित आतंकादी समूह, लश्कर–ए–तैयबा के 10 सदस्यों ने 160 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी, उसके एकमात्र जीवित पाकिस्तानी बंदूकधारी, अजमल कसाब को फांसी दे दी। वर्ष 2004 के बाद भारत में दी गई यह पहली फांसी थी, जिसके कारण आठ वर्षों की अघोषित मोहलत का अंत हुआ।

भारत इस बात पर कायम है कि वह केवल ''दुर्लभ में से दुर्लभतम'' मामलों में ही मृत्यु दंड देता है। जुलाई में 14 अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत नौ वर्षों के दौरान 13 कैदियों को त्रुटिवश सही ठहराए गए मृत्युदंड को कम करने को कहा। इसके उपरांत, उच्चतम न्यायालन ने माना कि ये मृत्युदंड *लापरवाहीवश* (त्रुटि अथवा अज्ञानतावश) सुनाए गए हैं। नवंबर में, उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि विगत वर्षों में ''दुर्लभ में से दुर्लभतम'' के मानक का समान रूप से अनुपालन नहीं किया गया है और ''दुर्लभ में से दुर्लभतम'' अपराध का तात्पर्य क्या है, इससे जुड़े सिद्धांतों की ''पुनः समीक्षा किए जाने'' की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय भूमिका

क्षेत्र में भारत की विदेश नीति पर, चीन के बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में बढ़ते प्रभाव से जुड़ी रणनीतिक और आर्थिक चिंताओं का असर पड़ना जारी है।

भारत ने विश्व स्तर पर मानव अधिकारों और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। मार्च में, भारत ने मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) में श्रीलंका में युद्ध के उपरांत सुलह एवं जवाबदेही के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले संकल्प के पक्ष में मतदान किया। यह भारत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है, जो परंपरागत रूप से विधिवत् उजागर युद्ध अपराधों और तत्संबंधी उत्पीड़नों के लिए श्रीलंका सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने से परहेज करता रहा है।

फरवरी में, भारत ने सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो वहां बढ़ती हिंसा के संबंध में अरब लीग की योजना का समर्थन कर रहा था। जुलाई में भारत ने पुनः सुरक्षा परिषद में सीरिया पर एक प्रस्ताव के पक्ष में पश्चिमी सरकारों के साथ मतदान किया, जिसे यदि स्वीकार किया गया, तो यह सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण मिशन (यूएनएसएमआईएस) के अधिदेश का विस्तार होगा और धमकी दी गई है कि यदि सीरियाई प्राधिकारी उत्पीड़नकारी गतिविधियां बंद नहीं करते तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता

भारत ने पारंपरिक रूप से हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित विदेश नीति का पालन किया है और मानव अधिकार के मुद्दों पर की जाने वाली किसी भी आलोचना को अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप मानता है। इसके फलस्वरूप अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित अधिकांश देश, मानव अधिकार के रिकॉर्ड में सुधार करने हेतु इस पर सार्वजनिक रूप से दबाव बनाने की बजाय, भारत के साथ इन मुद्दों पर निजी तौर पर ही चर्चा करना पसंद करते हैं।

हालांकि, मई में संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य राष्ट्रों ने भारत के मानव अधिकार रिकॉर्ड की यूएन वैश्विक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) के दौरान महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों में, भारत को लोगों को यातना देने और बलपूर्वक गायब किए जाने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करने, मृत्युदंड के साथ–साथ बहुत अधिक दुरुपयोग किए गए एएफएसपीए को निरस्त करने, तथा दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, बच्चों और जनजातीय समूहों के अधिकारों के संरक्षण करने की जरूरत भी शामिल है। भारत सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में कुछ सिफारिशों को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, किंतु दंड से छूट के विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई किए जाने वाली सिफारिशों को अनदेखा कर दिया।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत को न्यायेतर, संक्षिप्त, या मनमाने मृत्युदंड, और बच्चों की बिक्री, बाल अश्लील चित्रण और बाल वेश्यावृत्ति की जांच के लिए देश की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। इस यात्रा के बाद मार्च में, न्यायेतर, संक्षिप्त, या मनमाने मृत्युदंड संबंधी जांच के लिए आए विशेष दूत, क्रिस्टोफ हेन्स ने पुलिस और सशस्त्र सेना को प्राप्त ''दंड से छूट के उच्च स्तर'' पर चिंता व्यक्त की, और सिफारिश की कि एएफएसपीए को निरस्त किया जाए और न्यायेतर हत्याओं की पड़ताल करने के लिए एक जांच आयोग गठित किया जाए।